## न्यायालय ब इजलास श्री अम्बालाल मीना (आर. ए. एस) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास जिला कोटा (राज0)

### राजस्व लोक अदालत शिविर खजूरना

मिसल नंबर 284 / 14 दायरा दिंनाक 19.06.2015

उनवान :–

1. चन्द्रकिशोर पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी आंवा तहसील कनवास।
2. दशरथ पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी आंवा तहसील कनवास।
3. रूकमणी देवी बेवा सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी आंवा तहसील कनवास।
4. मन्जूलता पुत्री सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी आंवा तहसील कनवास।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

### वाद इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा 88, 89 आर टी एक्ट

निर्णय दिंनाक 19.06.2015

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मंगलपुरा पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास में निम्न आराजी स्थित है :–

| क्र.सख्या | खसरा नंबर | रकबा हैक्टर |
|---|---|---|
| 1 | 238 | 0.01 |
| 2 | 239 | 1.54 |
| 3 | 241 | 1.38 |
| 4 | 273 | 2.96 |
| कुल किता 4 की रकबा 5.89 हैक्टर भूमि | | |

यह कि उपरोक्त वर्णित आरजी में वादीगण के नाम से मुताबिक जमाबंदी सवंत 2066–2069 में खाता संख्या 68 में वादीगण के खातेदारी में दर्ज होकर वादीगण के नाम के पूर्व में माफी चाकरी शब्द अंकित है। वादीगण से पूर्व वादीगण के पेतृकों के खाते दर्ज थी जो विरासत में वादीगण को प्राप्त हुयी है। परन्त माफी चाकरी शब्द पूर्ववृत चलता आ रहा है, जबकि राज्य सरकार द्वारा जागीरी व माफी आराजी के उन्मूलन के बाद माफी चाकरी शब्द यथावत चला आ रहा है। जबकि वादीगण अपने पेतृक समय से उक्त आराजी पर बहैसीयत खातेदारी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी बहैसीयत खातेदार काबिज होकर काश्त है। वादीगण के नाम के पूर्व माफी चाकरी शब्द दर्ज होने से ावादीगण को उक्त भूमि पर विकास कार्य हेतु बैंक व सहकारी संस्था से ऋण नंही मिल पाता है। तथा वादीगण को आर्थिक परेशानियां भुगतने के साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पडता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास, जिला कोटा (राज0)

मीजान

इसलिये वादीगण को यह आवश्यक हो गया कि उक्त आराजी में अपने नाम से पूर्व दर्ज हो रहा माफी चाकरी शब्दों को हटाने और इसलिए राजस्व रिकार्ड में खाते में दर्ज वादीगण के नाम से पूर्व माफी चाकरी शब्द हटवानो के लिए वादीगण ने कई मर्तबा प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र दिये परन्तु कोई सुनवाई नंही होने पर वादीगण द्वारा जिला कलेक्टर कोटा को एक रजिस्टर्ड लीगल नोटिस दिनांक 17.09.2012 को प्रेषित किया है। परन्तु बाद गुजरने मियाद 2 माह तक उक्त माफी चाकरी शब्द न हटाने पर माननीय न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्त हेतु वाद पेश करना आवश्यक हो गया है।

वादीगण द्वारा वाद पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व वाद पत्र के पैरा नंबर 1 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 238 की रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 239 की रकबा 1.54 हैक्टर खसरा न बर 241 की रकबा 1.38 है0 खसरा नंबर 273 की रकंबा 2.96 हैक्टर कुल किता 4 की कुल रकबा 5.89 हैक्टर आराजी में दर्ज माफी चाकरी को हटाने की घोषणा की जाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित कर इन्द्राज दुरूस्त करने के आदेश पारित फरमावें।

प्रार्थी के निवेदन करने पर पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर मामोर में सुनवाई हेतु रखी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार कनवास का जवाब लिया गया। जवाब सरकार दिंनाक 19.06.2015 में नायब तहसीलदार कनवास ने अंकित किया कि पेरा वाद चरण 1 में वर्णित ग्राम मंगलपुरा पटवार हल्का खजूरना की आराजी खसरा नंबर 238 रकबा 0.01 हैक्टर 239 रकबा 1.54 हैक्टर खसरा नंबर 241 रकबा 1.38 हैक्टर एवं खसरा नंबर 273 रकबा 2.96 हैक्टर कुल योग खसरा किता 04 की 5.89 हैक्टर भूमि में खाते मे दर्ज शब्द माफी चाकरी को हटाया जाकार वादीगण को खातेदार घेषित किये जाना उचित है।

पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं परोकार सरकार के जवाब का अवलोकन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वाद पत्र में अंकित आराजी माल ग्राम मंगलपुरा पटवार हल्का खजरूना की आराजी खसरा नंबर 238 रकबा 0.01 हैक्टर खसरा नंबर 239 की 1.54 हैक्टर 241 की रकबा 1.38 हैक्टर एवं खसरा नंबर 273 की रकबा 2.96 कुल खसरा किता 04 5.89 हैक्टर भूमि पर अंकित **"माफी चौकीदारी"** शब्द को हटाया जाना उचित समझते हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर माल ग्राम मंगलपुरा पटवार हल्का खजूरूना की जमाबंदी सम्वत 2066–2069 के खाता संख्या 68 पर अंकित आराजी खसरा नंबर 238 रकबा 0.01 हैक्टर खसरा नंबर 239 की 1.54 हैक्टर 241 की रकबा 1.38 हैक्टर एवं खसरा नंबर 273 की रकबा 2.96 कुल खसरा किता 04 5.89 हैक्टर भूमि पर वादीगण 1 लगायत 4 चन्द्रकिशोर, दशरथ, रूकमणी, मन्जूलता को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा वादीगण के साथ अंकित **"माफी चौकीदारी"** शब्द को हटाया ~~जाना~~ जाकर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। तदानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्री अम्बालाल मीना
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम **कनवास**

ब इजलास **न्यायालय ब इजलास श्री अम्बालाल मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.) राजस्व लोक अदालत केम्प मामोर**

1. चन्द्रकिशोर पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी आंवा तहसील कनवास।
2. दशरथ पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी आंवा तहसील कनवास।
3. रूकमणी देवी बेवा सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी आंवा तहसील कनवास।
4. मन्जूलता पुत्री सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी आंवा तहसील कनवास।

**वादी :–**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

**प्रतिवादीगण**

<u>वाद वास्ते खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट</u>

मुकदमा नं 284/14 सन **2014** तारीख फैसला 19.06.2015 **न्यायालय ब इजलास श्री अम्बालाल मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास** जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** ब हाजरी वादी **नंम्बर 1 लगायत 4 स्वंय** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि **वादी का वाद स्वीकार करते हुए** ग्राम मंगलपुरा पटवार हल्का की **जमाबंदी सम्वत 2066–2069 के खाता संख्या 68 पर अंकित आराजी खसरा नंबर** 238 रकबा 0.01 हैक्टर **खसरा नंबर 239 की 1.54 हैक्टर 241 की रकबा 1.38 हैक्टर** एवं खसरा नंबर **273** की रकबा **2.96 कुल खसरा किता 04 की 5.89 हैक्टर भूमि पर वादीगण को** खातेदार कृषक **घोषित** किया जाता है। **तथा वादीगण के नाम के साथ अंकित "माफी चौकीदारी"** शब्द को हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती **की जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।** नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **19.06.2015** माह **जुलाई 2015** को जारी की गई।

मोहर ..............................

श्री अम्बालाल मीना
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.)

| मुदई | रूपया | पै. | मुदायलाह | रूपया |
|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा .... | ------NIL------ | | स्टाम्प वकालतनामा .... | ------NIL------ |
| स्टाम्प वकालतनामा .... | | | स्टाम्प अर्जी .... | |
| स्टाम्प वजह सबूत .... | | | महनताना वकील .... | |
| महनताना वकील .... | | | खर्चा गवाहान .... | |
| खर्चा गवाहान .... | | | फीस कमिश्नर .... | |
| फीस कमिश्नर .... | | | बाबत इजराय हुकमनामा .... | |
| बाबत इजराय हुकमनामा .... | | | मुतफर्रिक .... | |
| मुतफर्रिक | | | | |
| मीजान .... | | | मीजान .... | |